मध्यप्रदेश शासन
संस्कृति विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक /05/2023

क्रमांक एफ 2/1/18/0008/2023/30 : राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद के आयटम क्रमांक 18 दिनांक 04 मई 2023 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 21.04.2023 की कंडिका-2 "वर्तमान में ऐसे आवेदक और उनके आश्रित उसी स्थिति में वित्तीय सहायता के पात्र हैं जबकि उनकी मासिक आय परिवार के अकेले सदस्य के लिए रू. 1500/- प्रति माह और दो सदस्यों के लिए रू. 2000/- प्रति माह और तीन सदस्यों के लिए 3000/- प्रतिमाह हो इस आय की सीमा को बढ़ाकर परिवार की अधिकतम आय सीमा रू. 7000/- मासिक अथवा 84000/- वार्षिक प्रति परिवार की स्वीकृति तथा कंडिका- 3 "'अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता में वृद्धि करते हुए प्रति परिवार कलाकार/साहित्यकार को मासिक राशि रू. 5000/- तथा आर्थिक सहायता कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु उपरांत परिवार को मासिक राशि रू. 3500/- करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुनील दुबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 2/1/18/0008/2023/30 भोपाल, दिनांक25/05/2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
6. संचालक, संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी संस्कृति, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
9. नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्राणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
10. आर्डर बुक।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

Letter 2023 P-369

मध्यप्रदेश शासन,
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, भोपाल

–: अधिसूचना :–

भोपाल, दिनांक : 22/06/2023

क्रमांक **एफ 2/1/18/0008/2023/तीस** :: मध्यप्रदेश शासन एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–70/संवि/30/93 दिनांक 18 जून 2005 को अतिष्ठित करते हुये, अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात ;

नियम

1. शीर्षक एवं उद्देश्य :–

(क) यह योजना "अर्थाभावग्रस्त विद्वानों/साहित्यकारों/कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता योजना, 2023" कहलायेगी।

(ख) इस योजना का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया है, किन्तु अर्थाभावग्रस्त है, और ऐसे लेखकों तथा कलाकारों के आश्रितों को, जो कि अपने परिवारों को असहाय छोड़ गये हैं, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना होगा।

2. पात्रता :

(एक) निम्नलिखित व्यक्ति वित्तीय सहायता के पात्र होगें :–

(क) 60 वर्ष से अधिक आयु का ऐसा व्यक्ति, जिसका विद्या, कला तथा साहित्य के प्रति योगदान महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हो।

(ख) परम्परागत विद्वान, जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, भले ही उनका कोई ग्रन्थ प्रकाशित न हुआ हो।

(ग) आश्रित (अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित दिवंगत लेखक या कलाकार की विधवा/विधुर और नाबालिग बच्चे)

(घ) विशेष परिस्थितियों में दिवंगत लेखक/कलाकार के पूर्णतः आश्रित वृद्ध पिता, माता, नाबालिग भाई और बहन एवं दिव्यांग भाई–बहन, जो दिवंगत लेखक/कलाकार **परपूर्णतः आश्रित हो और** उनकी आय का कोई स्त्रोत न हो। ऐसे प्रकरणों में न्यूनतम आयु सीमा की बाध्यता नहीं होगी।

(दो) ऐसे आवेदक और उनके आश्रित उसी स्थिति में वित्तीय सहायता के पात्र होंगे, जबकि उनकी मासिक आय निम्नलिखित से अधिक न हो :–

क्र.	परिवार	मासिक आय सीमा
1	मासिक/वार्षिक आय	रू. 7000/–मासिक अथवा 84000/– वार्षिक

3. सहायता का स्वरूप :–

नियम 2(दो) में उल्लेखित आवेदक तथा उसके परिवार के सदस्यों की मासिक आय सीमा के आधार पर पात्र आवेदकों को निम्नानुसार मासिक सहायता प्रदान की जावेगी :–

क्र.	आवेदक/सदस्य	मासिक सहायता राशि
1	मासिक सहायता राशि	रू.5000/– (रू. पांच हजार मात्र)
2	मासिक सहायता प्राप्त साहित्यकार/कलाकार की मृत्यु की स्थिति में।	साहित्यकार/कलाकार की मृत्यु हो जाने पर उसके पति/पत्नी को (जो भी स्थिति हो) मासिक वित्तीय सहायता राशि रू. 3500/– (रू. तीन हजार पाँच सौ मात्र)

4. **आवेदक की आयुसीमा एवं सहायता की अवधि :–**

(क) आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम होने पर, प्रथमतः मासिक सहायता राशि 3 वर्ष या कार्यकारी समिति द्वारा निश्चित अवधि के लिए स्वीकृत की जावेगी।तत्पश्चात आगामी 3 वर्षों के लिए सहायता राशि का नियमानुसार नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(ख) 70 वर्ष या उससे अधिक आयु और ऐसे स्थायी रूप से दिव्यांग जो आजीविका का साधन जुटाने में असमर्थ हैं, आवेदकों के संबंध में यह सहायता आजीवन होगी।

(ग) अनुदान पाने वाले की आर्थिक स्थिति का सत्यापन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारासंलग्न प्रपत्र **परिशिष्ट–'तीन'** में, आवेदक सेप्राप्त शपथ–पत्र के आधार पर प्रतिवर्ष किया जावेगा।

(घ) स्वीकृत सहायता अवधि के दौरान,योजना के नियमों में निर्धारित अधिकतम आय सीमा के अनुसार यदि आवेदक की आय कीस्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो उसकी जानकारी कलेक्टर द्वारा तत्काल संचालक, संस्कृति संचालनालय को उपलब्ध करायी जावेगी।

उपरोक्तानुसारयदि आवेदक/हितग्राही की स्वीकृति के समयकीआय तथा आश्रितों की स्थिति में किसी परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है, तो प्रकरण पुनर्विचार के लिये कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

5. **वितरण प्राधिकारी** :–इस योजना के अन्तर्गत कार्यकारी समिति द्वारा मंजूर वित्तीय सहायता की राशि का वितरणहितग्राहियों को संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

6. **स्वीकृति प्राधिकारी :–**

योजनान्तर्गत सहायता राशि स्वीकृति हेतु संचालक, संस्कृति संचालनालय स्वीकृति प्राधिकारी होंगे। जिलेवार सहायता प्रकरणों के अनुसार, स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा बजट आवंटन संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय को सहायता राशि वितरण हेतु उपलब्ध कराया जावेगा।

7. **सहायता का नवीनीकरण :–**

यदि सहायता पाने वाला व्यक्ति :–

(क) अपने जिले के कलेक्टर के मार्फत वित्तीय सहायता के नवीकरण के लिए संलग्न निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट 'दो'** में आवेदन पत्र प्रस्तुत करे और संबंधित कलेक्टर उसकी सिफारिश करे,

अथवा

(ख) अपनी तथा अपने आश्रितों की आय के संबंध में विधिवत शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र **(परिशिष्ट तीन)** प्रस्तुत करे ;

तो सहायता ऐसी अवधि तक जारी रखी जा सकेगी जो शासन द्वारा निश्चित की जाए।

8. **सहायता बंद किया जाना :–** यदि सहायता पाने वाले के आय साधन सुधर जायें और उन्हें **नियम 2 (दो)** में उपबंधित आय से अधिक आमदनी होने लगे या कार्यकारी समिति का अन्यथा समाधान हो जाए तो इस योजना के अंतर्गत सहायता देना किसी भी समय बंद किया जा सकेगा।

9. **मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को सहायता :–** सहायता पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर **नियम 2(घ)** अनुसार उसके आश्रितों को मंजूर अवधि की असमाप्त अवधि तक सहायता पाने की अनुमति दी जा सकेगी, इसके बाद सहायता प्राप्त करने के लिए आश्रित को **नियम 9** में निर्धारित तरीके से आवेदन करना होगा।

10. <u>सहायता पाने के लिये आवेदन करने की प्रक्रिया</u> :–

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र संस्कृति संचालक म.प्र. भोपाल को निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट 'एक'** में उस जिले के कलेक्टर के मार्फत एवं कलेक्टर की अनुशंसा **(परिशिष्ट 'एक' का संलग्नक 'क')** सहित, जिसमें आवेदक निवास करता हो, भेजे जा सकेंगे।

साहित्यकारों/कलाकारों/आश्रितों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में साहित्य, कला एवं संस्कृति के प्रतिष्ठित विद्वानों की समिति गठित की जाएगी, जिसमें एक हिन्दी का साहित्यकार एवं अन्य किसी साहित्य यथाः संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी अथवा देश के अन्य किसी भी भाषा का कोई एक साहित्यकार, एक संगीतज्ञ, जिला जनसंपर्क अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा मनोनीत एक सदस्य होंगे। ऐसी समिति कलेक्टर द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष बाद पुनर्गठित की जायेगी।

उक्तजिला स्तरीय समिति द्वारा,जिले से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा और अपने–अपने संबंधित क्षेत्र में आवेदक की सेवा, वित्तीय स्थिति एवं उनकी आयु को देखते हुए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने की सिफारिश की जाएगी।

संबंधित कलेक्टर सिफारिश करने के पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्ण एवं स्पष्ट हो और आवेदक की कृतियों की प्रतियाँ(यदि उपलब्ध हो) संलग्न करते हुए आवेदक को वित्तीय सहायता देने के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत देंगे। अनुशंसित आवेदन के संबंध में लिये गये निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी।

यदि कोई साहित्यकार/कलाकार/आश्रित स्वयं आवेदन नहीं करता और उसकी जानकारी एक प्रतिष्ठित कला/साहित्य संस्था या साहित्यकार/कलाकार के माध्यम से शासन या संचालक, संस्कृति को मिलती है, तो ऐसे मामलों में नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, वह जाँच करने के बाद प्रकरण पर निर्णय लेने के लिये कार्यकारी समिति को भेज सकेंगे।

11. <u>योजना का क्रियान्वयनः–</u>

क्रियान्वयन समिति :

निम्नलिखित क्रियान्वयनसमिति योजना के संबंध में नीति विषयक सुझाव दे सकेंगी। क्रियान्वयन समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित होगी :–

1.	प्रमुख सचिव / सचिव, संस्कृति विभाग	– अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो अवर सचिव से अनिम्न न हो	– सदस्य
3.	संस्कृति विभाग के अवर सचिव से अनिम्न अधिकारी	– सदस्य
4.	शासन द्वारा नामांकित कलाकार/साहित्यकार/संगीतकार (प्रत्येक विधा का एक विद्वान)	– सदस्य
5.	म.प्र. संस्कृति परिषद के अधीनस्थ अकादमियों के प्रतिनिधि (जो निदेशक से अनिम्न न हो)	– सदस्य
6.	संचालक, संस्कृति संचालनालय	– सदस्य सचिव

<u>कार्यकारी समिति</u>

योजना के कार्यान्वयन एवं सहायता राशि की अनुशंसा हेतु निम्नानुसार **कार्यकारी समिति** का गठन शासन द्वारा किया जावेगा :–

1	संचालक / आयुक्त संस्कृति संचालनालय	– अध्यक्ष
2	संस्कृति विभाग के अवर सचिव से अनिम्न अधिकारी	– सदस्य
3	कला/साहित्य/संगीत क्षेत्र के विद्वान (प्रत्येक विधा में एक) जिन्हें शासन द्वारा मनोनीत किया जायेगा।	– सदस्य
4	म.प्र. संस्कृति परिषद के अधीनस्थ :	
	(क) निदेशक, साहित्य अकादगी	– सदस्य
	(ख) निदेशक, अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादगी	– सदस्य
	(ग) निदेशक, जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी	– सदस्य
5	उप संचालक, संस्कृति संचालनालय	– सदस्य सचिव

क्रियान्वयन और कार्यकारी समिति के अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारणों से स्थान रिक्त होने पर शेष अवधि के लिये नये सदस्य को शासन द्वारा नामांकित किया जा सकेगा।

उपर्युक्त कार्यकारी समिति मासिक सहायता के लिये प्राप्त आवेदनों की जाँच कर सहायता राशि स्वीकृत कर सकेगी तथा कार्यकारी समिति आवश्यकतानुसार सहायता प्राप्त व्यक्तियों के प्रकरणों का पुनरावलोकन कर सकेगी।

कार्यकारी समिति के अध्यक्ष आवेदक की पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो गये हों और उन्हें यह समाधान हो गया हो कि आवेदक को तत्काल सहायता आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में, अधिकतम छः माह की अवधि के लिये अथवा सगिति की अगली बैठक की तिथि तक के लिए नियम एवं पात्रतानुसार सहायता राशि स्वीकृत कर सकेंगे, किन्तु ऐसे प्रकरण सगिति की अगली बैठक में अनुमोदनार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।

12. नियमों में किसी नियम को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार संस्कृति विभाग को होगा।

13. **अंतिम निर्णय :–** वित्तीय सहायता की मंजूरी के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

14. ये नियम तत्काल प्रभावशील होंगे।

15. यह नियम वित्त विभाग के यू.ओ. 42/आर 804/ब–2/चार/2023 दिनांक 19.01.2023 द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुनील दुबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

भोपाल दिनांक :22/06/2023

पृ.क्र. एफ 2/1/18/0008/2023/तीस

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग भोपाल।
3. संचालक, संस्कृति संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
4. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल। कृपया अधिसूचना म.प्र. राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित कर उसकी 500 प्रतियां विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।
5. जिला कलेक्टर (समस्त), म.प्र.
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त), म.प्र.

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

परिशिष्ट 'एक'

आवेदक का नवीनतम फोटो

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति संचालनालय
साहित्यकारों/कलाकारों को मासिक आर्थिक सहायता योजना का
आवेदन–पत्र का "प्रारूप"
(नियम 10)

1. पूरा नाम : .....

2. निवास का पता : .....
(निवास का प्रमाणपत्र संलग्न करें)

3. जन्म तारीख : .....

4. स्वयं की वर्तमान आय और अन्य साधन, यदि कोई हो : .....

5. आवेदक पर पूर्णतः आश्रित परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी : .....

क्र.	आयु	संबंध	व्यवसाय	आय और आय के साधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. स्वयं के, पत्नी/पति, बच्चों या आश्रितों के नाम पर अचल सम्पत्ति, कहां स्थित है, उसका क्षेत्रफल और मूल्य तथा उससे होने वाली आय : रू. .....

क्र.	सम्पत्ति	क्षेत्रफल	स्थान	वार्षिक आय रू.

7. स्वयं की, आश्रित की तथा अचल सम्पत्ति से होने वाली कुल आय (क्र. 4, 5 तथा 6 का योग) : .....

8. लेखक या कलाकार द्वारा साहित्य अथवा परम्परागत कला के क्षेत्रों में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों/उपलब्धिओं का विवरण (संलग्न करें) : .....

9. लेखक या कलाकार को शासन या किसी प्रमुख साहित्यिक अथवा किसी संस्था से प्राप्त किसी मान्यता या सम्मान के ब्यौरे (प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें) : .....

10. अन्य संगत जानकारी, यदि कोई हो : .....

11. कलेक्टर की अनुशंसा (संलग्नक 'क' अनुसार) : संलग्न है/नहीं।

स्थान : .....
दिनांक : .....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :

टीप :–

1. प्रत्येक कॉलम में जानकारी स्पष्ट तथा पूर्ण दी जानी चाहिए। लेखकों के आवेदन पत्रों के साथ उनकी कृतियों की प्रतियां, यदि उपलब्ध हो, अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिये।
2. आवेदन पत्र के कालम में 1 से 7 की जानकारी शपथ पत्र में प्रस्तुत की जाये।
3. आवेदन पत्र के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र एवं निवास का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

संलग्नक 'क'

अर्थाभावग्रस्त लेखकों, कलाकारों और उनके आश्रितों को मासिक वित्तीय सहायता की योजना के लिए कलेक्टर की अनुशंसा का "प्रारूप"

श्री / श्रीमती / कुमारी .....
आत्मज / पत्नि / आत्मजा .....
उम्र ..... जो कि जिले के ग्राम / वार्ड .....
..... के निवासी हैं।

श्री ..... एक प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार / कलाकार (..... कला विधा) हैं, को संस्कृति संचालनालय भोपाल की "मासिक वित्तीय सहायता योजना" के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

कलेक्टर
जिला .....(म.प्र.)
(पदमुद्रा)

प्रति,

संचालक
संस्कृति संचालनालय,
शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)

परिशिष्ट–दो

[नियम 7 (क)]

संस्कृति संचालनालय (संस्कृति विभाग) की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त व्यक्तियों की आय के सत्यापन/वित्तीय सहायता अवधि के नवीनीकरण के लिये कलेक्टर के मार्फत आवेदन का निर्धारित प्रपत्रः–

नाम ..... आयु .....

.....1. वर्तमान में स्वीकृत वित्तीय सहायता राशि .....

..... मासिक

2. वित्तीय सहायता के अलावा अन्य स्त्रोतों से स्वयं की वर्तमान .....

..... आमदनी तथा आमदनी के साधन–

स्त्रोत	आमदनी
1. चल/अचल सम्पत्ति से	
2. पेंशन से	
3. सम्मान निधि से	
4. अन्य	

3. आवेदक पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों की संख्या

4. आवेदक पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों का विवरण :–

क्रमांक	नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय	आमदनी तथा उसके स्त्रोत

5. स्वयं अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों के नाम अचल .....

..... सम्पत्ति, उसका प्रकार, उपयोग, क्षेत्रफल और उसका मूल्य

6. क्रमांक 5 में उल्लेखित सम्पत्ति से होने वाली आमदनी के .....

..... ब्यौरे

7. समस्त साधनों से होने वाली आमदनी (क्रमांक 2,4 तथा .....

..... 6 में दर्शायी आमदनी का योग)

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

मैं (नाम) ..... निवासी .....

.....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त प्रपत्र के पैरा 1 से 7 में दी गई जानकारी मेरे निजी ज्ञान से पूर्ण और सत्य है। अपूर्ण अथवा असत्य जानकारी के आधार पर मुझे प्रदत्त वित्तीय सहायता राशि शासन द्वारा मुझसे वसूली योग्य होगी।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक पूरा नाम व पता

कलेक्टर का प्रमाणीकरण

श्री ..... द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त जानकारी का सत्यापन किया गया है। आवेदक की समस्त स्त्रोतों से कुल आमदनी ..... है। आवेदक की वित्तीय सहायता अवधि का नवीनीकरण किया जा सकता है।

स्थान : हस्ताक्षर.....

दिनांक पदमुद्रा.....

परिशिष्ट–तीन

[नियम 7(ख)]

संस्कृति संचालनालय (संस्कृति विभाग) की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त व्यक्तियों की वित्तीय सहायता अवधि के नवीनीकरण/आय के सत्यापन के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का निर्धारित प्रपत्रः–

शपथ–पत्र

नाम ..... आत्मज ..... आयु .....

.....

एतद् द्वारा शपथ पूर्वक निम्नानुसार कथन करता हूँ किः–

1. मुझे मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति संचालनालय की योजना के अंतर्गत .... मासिक वित्तीय सहायता स्वीकृत है।
2. वित्तीय सहायता के अलावा वर्तमान में मुझे निम्नलिखित स्त्रोतों से कुल रूपये .... मासिक आमदनी होती है।

स्त्रोत	आमदनी
1. चल/अचल सम्पत्ति से	
2. पेंशन से	
3. सम्मान निधि से	
4. अन्य	

3. आवेदक पर पूर्णतया आश्रित सदस्यों की संख्या ..... है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय	आमदनी

4. मुझे योजना के वर्तमान नियमों के अंतर्गत सहायता पात्रता है।
5. यदि कोई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो उसके आधार पर मुझे दी गई वित्तीय सहायता राशि शासन द्वारा मुझे वसूली योग्य होगी।

.....

(शपथगृहीता)

सत्यापन

मैं (नाम) ..... निवासी .....

उपरोक्त शपथगृहीता एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र के पैरा 1 से 5 में दी गई जानकारी मेरे निजी ज्ञान से पूर्ण एवं सत्य है।

शपथ–पत्र दिनांक ..... को ..... (स्थान) में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

.....

(शपथगृहीता)

स्थान :
दिनांक